

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.14(12)वित्त/कर/2016

जयपुर, दिनांक: 20 OCT 2020

—: आदेश :-

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारी श्री ओमकार सिंह आशिया, जिनको इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.2017 द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि या अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, की सदस्य के रूप में नियुक्ति अवधि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9(13) के अन्तर्गत उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2020 तक बढ़ाई जाती है।

आदेश से,



(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (वित्त)।
3. अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को उनके अशा0 पत्र क्रमांक राकबो/संस्था/2020/6556 दिनांक 17.08.2020 के क्रम में।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
10. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. संबंधित अधिकारी।
12. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव